तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार

राजस्व वाद संख्या 28/12 कालूराम वगैराह बनाम शंकरलाल वगैराह अतर्गत धारा 88,188 आरटी एक्ट

30.6.2018

पत्रावली आज फोलोअप कैम्प कैम्प कोर्ट लूणी में पेश हुई हमने पत्रावली का अवलोकन किया वादी ने यह वाद विवादग्रस्त भूमि वक्त सैटलमैन्ट वादीगण के पिता के नाम दर्ज होने के आधार पर पेश करते हुए निवेदन किया है कि प्रतिवादीगण के पिता मोडाराम ने फर्जिवाडे से उक्त जमीन अपने नाम करवाली थी, तथा वादीगण के पिता द्वारा कभी भी इस भूमि का इकरार या बेचाननामा नही किया है इसलिए दावे में घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा डिक्री चाही गई हैं, प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब दावे में बताया कि प्रतिवादीगण के पिता मोडाराम के द्वारा यह भूमि अनरजिस्टर्ड बेचान के आधार पर दिनांक 14.6.1974 को म्यूटेशन स्वीकार किया गया तथा लगभग 40 वर्ष के पश्चात वादी ने यह वाद पेश किया है जबकि 12 साल के पश्चात् ही वादीगण किसी प्रकार का कोई अनुतोष पाने का अधिकारी नही था वादीगण के पिता ने अपने जीवनकाल में भूमि का बेचान 99 रूपए में 3 रूपए के स्टाम्प पर दिनांक 15.2.1968 को अनरजिस्टर्ड बेचान कर खसरा न 356 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा का बेचान कर दिया था भूराजस्व अधिनियम की धारा 140 के तहत जमाबन्दी में दर्ज है तथा मौके पर कब्जा काश्त भी अप्रार्थीगण का है इस आधार पर वादीगण एडवर्स पजेशन के सिद्धान्त पर भी खातेदार हो गए है इसलिए वादी का वाद चलने योग्य नही है।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया प्रतिवादीगण विवादग्रस्त भूमि के दर्ज खातेदार काश्तकार है इसलिए यह सर्वमान्य विधि का मत है कि एक दर्ज खातेदार को तथा कथित रूप से हटाया नही जा सकता जैसा की हमने उपर यह वर्णित किया है कि प्रतिवादीगण पूर्व में चल रही प्रथा अनुसार 99 रूपए के बेचान 3 रूपए के स्टाम्प पर होने के आधार पर खातेदार बने है इसलिए जब तक उक्त तथाकथित बेचाननामा निरस्त नही हो जाता है हमाने विचार से वादी कोई अनुतोष पाने का अधिकारी नही है , इन तमाम तथ्यों की रोशनी में एवं बेचान दिनांक 15.2.1968 के बाद एंव वादीगण द्वारा करीब 40 वर्ष पश्चात यह दावा बेचानकर्ता की मृत्यू के पश्चात पेश किया है चुकि प्रतिवादीगण एडवर्स पजेशन के आधार पर भी खातेदार बन जाते है विकल्प में वे दिनांक 14.6. 1974 को म्यूटेशन के बाद से खातेदार हो गये है इसलिए वादीगण का वाद ठोस आधारों पर आधारित नही होने से वाद वादीगण खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः आदेश है की वादीगण का वाद अर्तगत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खसरा न 356 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा ग्राम काकाणी का खारिज किया जाता है ।

निर्णय सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर दखिल दफ्फतर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर लूणी
न्याय आपके द्वार 2018

Scanned by CamScanner